

**फर्द अहकाम**

पेशावर बनाव मं. नतिह

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर  
मुख्यालय-जयपुर

48/2024

(सी. भाई.)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30/11/24	<p>पगावली पेडा डब   अधिवक्तागण उम्मेदज उदस्थित   अयादी-1 की बाद में <del>अपस्थित</del> कावपुद उदस्थित प्राप्ति बन्. वेरिस दिनांक 27/6/25 के उदस्थित कादिनांक तदु प्रस्तुत नही की गठ है। अतः अयादी-1 के विषय प्रकल्पना नभविष्ये के कादिना दिनांक है। पगावली कावपुद डीआर वापिसी प्राप्ति 10/10/25 वा पेडा की</p> <p>सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर</p>	
07/8/24	<p>पगावली पेडा डब   अधिवक्तागण उम्मेदज उदस्थित   पगावली वास्तु बहकू या.पा. सी. भाई. दिनांक 19/8/24 को पेडा है।</p> <p>सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर</p>	
19/8/24	<p>पगावली पेडा डब   अधिवक्तागण उम्मेदज उदस्थित   बहकू प्राथनापना सी. भाई. पर सुनी गठ</p> <p>उम्मेदज कारण के उपेक्षित अनुत्तर साफदा के विषय है जिसे कंपन में सुलवाद अधिभाषीन है। पुस्तकालय के वास्तविक एड अधिका का निवारण उम्मेदज कारण की साफयानुसार चिदाजाना उपेक्षित है जिसेकी क्रियात्मिक तदु उम्मेदज प्राप्ति उस ही अनुमति स्थगन का अनुलोप वाहा गया है अतः तदा वादप्रदुलता</p>	




P.T.O.

**फर्द अहकाम**  
 वेंशाधर बनाम मं. नरिंह

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) अमेर

केस संख्या 48/2024 मुख्यालय-जयपुर

(टी. नरिंह)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	19/8/24	<p>व न्यायद्वारा उद्दिष्ट की मुक्ति का प्रस्ताव की भौका व राजस्व रिकॉर्ड की प्रशासकीय कायदा रकी जाती न्यायोचित व आवश्यक समझते हैं जिससे न्याय में पूर्ण रूप से ही उचित स्थान पर भी भी नितका कोई समुचित खंडन कथन प्रतिरोध उभरने का कारण होना प्रस्ताव नदी निभा गया है अपितु अपराधी पत्र द्वारा भी न्याय व न्याय की न्याय के स्थान का वत अनुलोप चला गया है</p> <p>अतः न्यायद्वारा व न्यायद्वारा उद्दिष्ट उभरने का कारण के प्रस्ताव प्राप्ति का अपराधी निषेधाज्ञा मप व न्याय प्राप्ति टी. नरिंह के स्वीकार किए जाकर न्यायद्वारा दंड के पूर्व उचित स्थान का व न्याय 25.09.24 को न्यायद्वारा मुलकाद स्थापित निभा जाकर उभरने का कारण को अपराधी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि न्याय न्याय मुक्ति डा. वि. नं. 37, 38 कुल खण्ड निभा 02 कुल रकम 2.28 ई. व न्याय प्रू 6 को व न्याय 37-40 का व न्याय न्याय अमेर जिला जयपुर की भौका व राजस्व रिकॉर्ड की प्रशासकीय कायदा रहे।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।          पत्रावली फास्ट ट्रेक अमेर के नंबर से कम है। न्यायद्वारा दायित्व यथा है।</p> <p align="right">               सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) अमेर              मुख्यालय-जयपुर         </p>